राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–111/2022

लीलाधर पुत्र श्री हीराराम, उम्र 63 वर्ष, जाति जाट निवासी खानपुर तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.....वादी

बनाम

1. प्रताप सिंह पुत्र रामगोपाल उम्र 50 वर्ष, जाति जाट निवासी खानपुर तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. रामचन्द्र पुत्र रामगोपाल उम्र 40 वर्ष, जाति जाट निवासी खानपुर तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
3. लिछमा पुत्री रामगोपाल पत्नी करण सिंह उम्र 55 वर्ष, जाति जाट निवासी खानपुर तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
4. संतोष देवी पत्नी लीलाधर उम्र 55 वर्ष, जाति जाट निवासी खानपुर तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
5. जुहाराम पुत्र त्रिलोकाराम उम्र 80 वर्ष, जाति जाट निवासी खानपुर तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
6. उप. पंजियक (सर0 रजिस्ट्रार) बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारक) बुहाना, जिला झुंझुनूं राज0

.....प्रतिववादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

<u>वाद घोषणात्मक खोतदारी रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

–:निर्णय :–

दिनांक :– 03–01–2023

अधिवक्ता उपस्थित :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:32 IST
Reason: SelfAttested

1. वादी की ओर से – श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता
2. प्रतिवादी संख्या [illegible] की ओर से – श्रीमती विद्या देवी कुमावत अधिवक्ता

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(1) वादी की ओर से वादपत्र निम्न प्रकार पेश है–

1. यह कि वाके ग्राम खानपुर तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 के खसरा नम्बर 490 रकबा 1.03है0 खसरा नम्बर 137/2 रकबा 0.51है0 खसरा नम्बर 84/4 रकबा 0.44है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.98 का खातेदारी काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता रामगोपाल पुत्र रामनारायण दर्ज रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता ने अपने इस भूमि में से 0.37है0 भूमि का बेचान जरिये रजिस्ट्रड विक्रय पत्र दिनांक 25/11/2001 को 1,48,000 रूपये अक्षरे एक लाख अड़तालिस हजार रूपये मात्र/– में वादी को कर दिया तथा उसी समय वादी का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 490 के 0.37 हिस्से पर कब्जा किया है। वादी क्रय की दिनांक से अपनी क्रयशुदा भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है।

2. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता रामगोपाल ने वादी को बेचान करने के पश्चात 0.51है0 भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 5 को कर दिया था। जिसका नामान्त्रण भी प्रतिवादी संख्या 5 के नाम से दर्ज हो चुका है तथा उसका भी हाल खसरा नम्बर 620/137 रकबा 0.51है0 भी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 5 के नाम से दर्ज हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की वंशावली निम्न प्रकार पेश है।

जिनमें से जमना देवी, कौशल्या, सुमित्रा, सावित्री, सिलोचना ने अपना हिस्सा अपने भाईयों दयाराम, प्रताप सिंह, रामचन्द्र के हक में तर्क करके उनके पक्ष में हक त्याग कर दिया है। जिसका नोट जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068 में दर्ज है।

3. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 तथा दयाराम ने खसरा नम्बर 490 रकबा 1.03 है0 में से 0.58है0 भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 4 को 2013 में कर दिया है। जिसका नामान्तरण संख्या 265 के अनुसार जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2072 की जमाबन्दी में दर्ज हो चुका है।

4. यह कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता से 0.37 है0 भूमि जरिये विक्रय पत्र क्रय की है। वादी ने उसी समय राजस्व को विक्रय पत्र की नकल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का को दे दी थी लेकिन वादी के नाम से नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया है। इस दौरान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता फौत हो गया तथा उक्त भूमि की खातेदाी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई हैं वादी ने अब नकल लेने पर ज्ञात हुआ है कि वादीगण क्रय की गई भूमि की खातेदारी ही उसके नाम से दर्ज नहीं हुई है। इसलिए वादी का उक्त वादपत्र घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्त पेश करना आवश्यक हुआ है।

5. यह कि वादी द्वारा क्रय करने के पश्चात राजव कर्मचारियेां की लापरवाही की वजह से वादी के नामन्तरण दर्ज नहीं होने से वादी को भारी हकतलफी है तथा प्रतिवादीगण उक्त रिकॉर्ड की आड़ में भूमि का बेचान भी कर सकते हैं इसलिए उनको पांबद किया जाना आवश्यक है।

6. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वादी [illegible] क्रय करने के पश्चात उसके नाम खातेदारी दर्ज नहीं होने से तथा [illegible] नकल [illegible] जानकारी होने पर पैदा हुआ जो सावधि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:32 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

7. यह कि वाद वर्णित भूमि ग्राम खानपुर तहसील बुहाना में सिथत होने से न्यायालय श्रीमानजी को वाद सुववाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
8. यह कि वादपत्र उक्त कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।
9. यह कि प्रतिवादी संख्या 6 उप. पंजियन तथा प्रतिवादी संख्या 7 भूमि धारक होने से प्रतिवादी पक्षकारान बनाया गया है।
10. यह कि वादपत्र नवीनतम जमाबंदी के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात वादी द्वारा कोई दान, रहन बेचान नही किया गया है।
11. यह कि वादपत्र नियमानुसार 2 प्रतियों में पेश किया गया है। तथा वादी का शपथपत्र वाद पत्र के साथ संलग्न है।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि:—

(क) ग्राम खानपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 490 रकबा 1.03है0 खसरा नम्बर 87/4 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 619/87 रकबा 0.44है0 किता 2 कुल रकबा 1.47 में से वादी को 0.37 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की भूमि में से कम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 लगयात 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि ग्राम खानपुर स्थित भूमि संख्या 490 रकबा 1.03है0 ख0 न0 619/87 रकबा 0.44 है0 दौराने वाद किसी प्रकार का रहन बेचान व दान न स्वयं करे व न अपने मित्र से करवायें।

(2) दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तामील जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से श्री विद्या देवी कुमावत एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया। जबाव दावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 1,2 की ओर से जवाब निम्न प्रकार से पेश है—

1. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 1 स्वीकार है प्रतिवादी संख्यसा 1 लगयात 3 के पिता द्वारा दिनांक 25.11.2001 को खसरा नम्बर 490, 137/2 व खसरा नम्बर 84/4 में से 0.37है0 हिस्से का बेचान वादी के पक्ष में किया है तथा वर्तमान में वादी का ख0 न0 490 में 0.37है0 पर संख्या काश्त होना भी स्वीकार है।
2. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 2 स्वीकार है।
3. यह कि वादपत्र का खण्ड न. 3 स्वीकार है। तथा ख0 न0 490 में से 0.58है0 भूमि का बेचान प्रतिवर्ष के हम में 2013 में किया जाना स्वीकार है तथा उसके अनुसार सन्तोष पतनी लीलाधर के नाम से नामान्तरकरण दर्ज है।
4. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 4 स्वीकार है।
5. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 5 स्वीकार है।
6. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 6 स्वीकार है।
7. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 7 स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:32 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

8. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 8 स्वीकार है।
9. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 9 जमानती के अभाव में अस्वीकार है।
10. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 10 जमानती के अभाव में अस्वीकार है।
11. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 11 जमानती के अभाव में अस्वीकार है।

अतः जवाब प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि वादी के दावे के अनुसार तथा विक्रय पत्र के अनुसार घोषणा करवाकर खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवाते है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

(3) वादी की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी प्रदर्श– 2 लगायत प्रदर्श– 3, विक्रय पत्र दिनांक 05–11–2001 पेश किये।

(4) बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। विक्रय पत्र दिनांक 05.11.2001 को बेचान कर दिया है जो पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र की फोटो प्रति का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है। इसलिए उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम खानपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 490 रकबा 1.03है0 खसरा नम्बर 87/4 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 619/87 रकबा 0.44है0 किता 2 कुल रकबा 1.47 में से वादी को 0.37 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदार प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 की खातेदारी में से 0.37 है. भूमि कम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 03–01–2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:32 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:–

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 111/2022 निर्णय दिनांक:– **03–01–2023**

लीलाधर **बनाम** प्रताप आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक खातेदार, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से श्रीमती विद्या देवी कुमावत चौधरी एडवोकेट उपस्थिति में तथा शेष प्रतिवागण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03–01–2023 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम खानपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 490 रकबा 1.03है0 खसरा नम्बर 87/4 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 619/87 रकबा 0.44है0 किता 2 कुल रकबा 1.47 में से वादी को 0.37 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदार प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 की खातेदारी में से 0.37 है. भूमि कम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **03–01–2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:32 IST
Reason: SelfAttested